माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

प्रश्न-पत्र का विषय

प्रश्न-पत्र का कोड

परीक्षार्थी का नाम

पिता का नाम

माता का नाम

जन्म तिथि

परीक्षार्थी का पंजीयन क्रमांक

परीक्षार्थी का पता

प्रश्नपत्र में दिये गये सभी निर्देशों का पालन करें।

प्रश्न क्रमांक	उत्तर	प्रश्न क्रमांक	उत्तर
1		11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

निरीक्षक के हस्ताक्षर

परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
   (i) [illegible]
   (ii) [illegible]
   (iii) [illegible]
   (iv) [illegible]
   (v) [illegible]
   (vi) [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]

2. अशोक के कन्सारवेई अभिलेख से हमें यह ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी व 20वें वर्ष में कपिलवस्तु की यात्रा की थी तथा वहाँ भूमि कर को कर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी। इसलिए यह अभिलेख हमारे लिए महत्वपूर्ण है।

3. जयपुर का जन्तर-मन्तर, सवाई जयसिंह द्वारा बनायी गयी वेधशाला है जिसे यूनेस्को ने अपनी सूची में सम्मिलित कर लिया है।

4. आधुनिक युग में राजनीतिक लोकतंत्र के दो रूप निम्न हैं-
(i) राष्ट्रपतात्मक लोकतंत्र
(ii) संसदीय लोकतंत्र
राष्ट्रपतात्मक लोकतंत्र का उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन प्रणाली है तथा संसदीय लोकतंत्र का उदाहरण ब्रिटेन की शासन प्रणाली है।

5. इंटरनेट के दो प्रमुख लाभ निम्न हैं-
(i) इंटरनेट से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
(ii) इंटरनेट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा सकती है।

6. देश के उत्पादन के सभी माध्यमों द्वारा एक वित्त वर्ष की अवधि में उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप अर्जित आय का कुल योग राष्ट्रीय आय कहलाती है।

7. भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। इसी अवधि में राष्ट्रीय आय व सकल घरेलू उत्पादन की गणना की जाती है।

7. प्राथमिक क्षेत्र में वे गतिविधियाँ सम्मिलित की जाती हैं जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है जैसे - कृषि, डेयरी इत्यादि।

8. सामान्य कीमत स्तर से तात्पर्य अनेक वस्तुओं या विभिन्न वस्तु समूह की कीमत के औसत स्तर से है। सामान्य कीमत स्तर किसी एक वस्तु की कीमत को नहीं अपितु विभिन्न वस्तु समूह की औसत कीमत को व्यक्त करता है।

9. काम करने के इच्छुक व्यक्ति को किसी भी प्रकार का काम नहीं मिलता, बेरोजगारी कहलाती है। इसमें उन व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जिनका रोजगार में पंजीकरण शून्य होता है।

10. भारत में आर्थिक नियोजन का उदय प्रथम स्वतंत्रता की पूर्व संध्या में अंग्रेजी नौकरशाही ने किया था।

11. टांका जल संग्रहण का एक परम्परागत रूप है। इसमें आमतौर पर 6 मीटर गहरे बड़े टांके का निर्माण किया जाता है तथा छत व आंगन से आने वाले वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। इसमें अन्दर की ओर सीमेंट से लेप किया जाता है ताकि जल का रिसाव न हो। यह नाली नैका होता है परन्तु इससे अधिक गहरा होता है।
योजना जिसके अन्तर्गत टांकों का निर्माण किया गया "कुछ्मंडी जल एकत्रीकरण योजना"।

13. व्यावसायिक फसल कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर फसल का एक रूप है।
ऐसी फसलें जिनका उपयोग उद्योगों में कच्चे माल के रूप में या औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है, व्यावसायिक फसल कहलाती है। इसे नकदी, औद्योगिक तथा सुरक्षादायिनी फसल भी कहा जाता है। व्यावसायिक फसलों के चार उदाहरण निम्न हैं -
(i) गन्ना
(ii) कपास
(iii) जूट
(iv) तम्बाकू

14. धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं -
(i) लौह धातु प्रधान (ii) अलौह धातु प्रधान

(i) लौह धातु प्रधान - इनमें लोहे के अंश की प्रधानता पायी जाती है, अतः ये लौह धातु प्रधान धात्विक खनिज कहलाते हैं।
उदाहरण - लौह अयस्क, मैंगनीज, क्रोमाइट, टंगस्टन, निकेल, टिन, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, वैनेडियम, टाइटेनियम, बॉक्साइट

(ii) अलौह धातु प्रधान - ऐसे खनिज जिनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, अलौह धातु प्रधान अ धात्विक खनिज कहलाते हैं।
उदाहरण - सोना, चाँदी, तांबा, टिन, कोबाल्ट, मैंगनीज, सीसा, जस्ता

15. भारत में औद्योगिक प्रदूषण से होने वाले दो प्रभाव निम्न हैं -
(i) औद्योगिक प्रदूषण से निकलने वाली गैसें जैसे कार्बन डाइ ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड आदि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। अम्लीय वर्षा के कारण भूमि की उर्वरता कम हो जाती है।

पेड़-पौधे व सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं।

16. औद्योगिक प्रदूषण के कारण कई प्रकार की बीमारियाँ जैसे- त्वचा रोग, श्वास संबंधी बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं तथा वातावरण प्रदूषित हो जाता है।

18. जन्म दर-
किसी देश में एक वर्ष में जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं की संख्या व दर किसी देश की जन्म दर कहलाती है।

मृत्यु दर-
किसी देश में एक वर्ष की अवधि में मृत होने वाले लोगों की संख्या व दर किसी देश की मृत्यु दर कहलाती है।

जन्म दर व मृत्यु दर में असंतुलन के कारण जनसंख्या में परिवर्तन (कमी या वृद्धि) की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

17. भारत में पाए जाने वाले परिवहन-
भारत में पाए जाने वाले परिवहन, परिवहन का एक आधुनिक तरीका है। इस प्रकार के परिवहन में पशुओं के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जैसे पैदल, प्राकृतिक गैस आदि का सुविधाजनक व उचित समय पर परिवहन किया जाता है। पशु लादन परिवहन इन दोनों में अधिक विकसित है जहाँ वाहन लेने के आधार हैं। भारत के पशु लादन परिवहन असम, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान के रेगिस्तान, गुजरात आदि क्षेत्रों में विभिन्न आकार में पाया जाता है।

प्रश्न 20

18. सड़क पर पैदल चलते समय हम निम्न बातों का ध्यान रखेंगे-
(i) सड़क पर बायीं ओर चलेंगे।
(ii) फुटपाथ या नेत्र क्रॉसिंग का उपयोग करेंगे।
(iii) यातायात नियमों व संकेतों का पालन करेंगे।
(iv) सावधानीपूर्वक चलने का ध्यान रखते हुए चलेंगे।

19. ठोस कचरा प्रबंधन कार्यक्रम-
ठोस कचरा प्रबंधन कार्यक्रम के तहत ठोस कचरा प्रबंधन के लिए तीन विकल्पों को अपनाया गया है, जिन्हें 3R सिद्धांत भी कहते हैं। जो हैं
(1) कम उपयोग करना-
यह 3R का पहला सिद्धांत Reduce है। इसमें वस्तुओं का कम उपयोग किया जाता है।
(2) पुनः उपयोग करना-
यह 3R का दूसरा सिद्धांत Reuse है। इसमें काम में ली जा चुकी वस्तुओं का पुनः उपयोग किया जाता है।
(3) पुनः चक्रण करना-
यह 3R का तीसरा सिद्धांत Recycle है। इसमें अपशिष्ट का पुनः उपयोग चक्रण करके उसका प्रबंधन किया जाता है।
इस प्रकार ठोस कचरे का प्रबंधन किया जाता है।

21. मौर्यकालीन केन्द्रीय प्रशासन -
मौर्यकालीन केन्द्रीय प्रशासन सुव्यवस्थित था। इस प्रशासन में 18 विभागों का उल्लेख था, जिन्हें तीर्थ कहा गया।
मौर्यकाल में राज्य पर नियंत्रण के लिए कोई संस्था नहीं थी फिर भी यह निरंकुश नहीं होता था। मौर्यकाल में पहली बार केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। कौटिल्य ने

राज्य के सात अंग बताए – स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दण्ड व मित्र।

* उपधा परीक्षण –
राजा द्वारा मंत्री व पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भाँति जाँच करने के पश्चात ही की जाती थी, इस क्रिया को उपधा परीक्षण कहा जाता था।

* न्यायाधीश –
अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख था जिसे तीर्थ कहा जाता। तीर्थ का अध्यक्ष महामात्य कहलाता था।

* सन्निधाता –
सन्निधाता का कार्य वार्षिक आय व व्यय का लेखा जोखा रखना, वार्षिक बजट तैयार करना व राजकोष निर्मित करना था।

* समाहर्ता –
इसे कोषाध्यक्ष भी कहा जाता है। इसका कार्य राज्य के विभिन्न भागों से कोषागार में धनागमन कराना था।
इसके अतिरिक्त 26 विभागाध्यक्षों का भी उल्लेख था –

1. कोषाध्यक्ष (कोष)
2. पण्याध्यक्ष (व्यापार-वाणिज्य)
3. सीताध्यक्ष
4. लोहाध्यक्ष
5. आटविक (वन विभाग का प्रमुख)
6. कुप्याध्यक्ष
7. लक्षणाध्यक्ष (मुद्रा ढालने वाला)
8. विवीताध्यक्ष (चारागाह)
9. सूत्राध्यक्ष (बुनकशाला)
10. सूनाध्यक्ष (पशु-बूचड़)

इस प्रकार मौर्यकालीन केन्द्रीय प्रशासन सुव्यवस्थित था।

उत्तर-30

Roll No.

1	0	5	7	4	1	2

S-08-Social Science

माध्यमिक परीक्षा, 2018

SECONDARY EXAMINATION, 2018

सामाजिक विज्ञान

SOCIAL SCIENCE

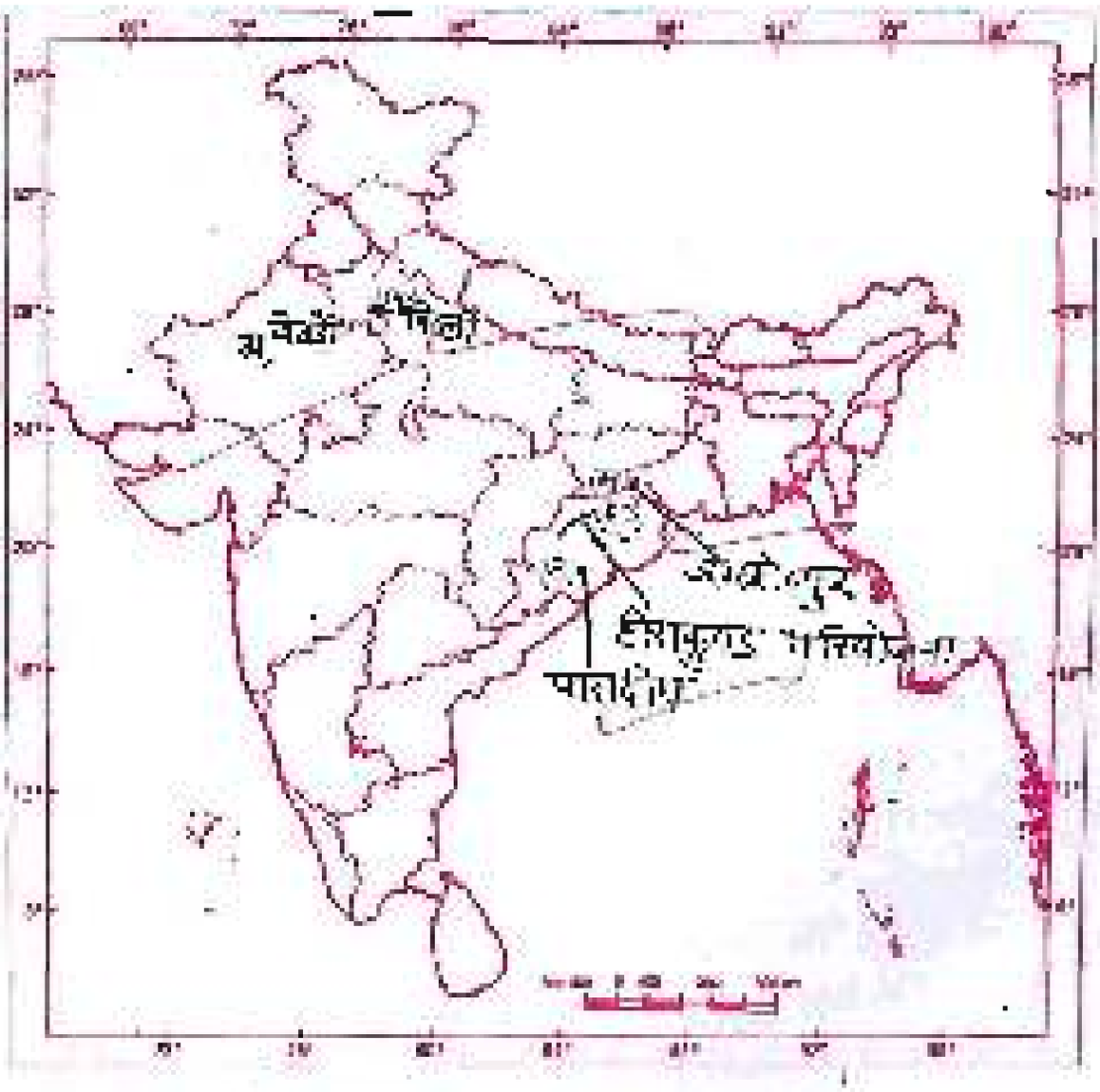

22. इटली के एकीकरण में मैजिनी का योगदान -
इटली के एकीकरण में योगदान देने वाले व्यक्तियों में मैजिनी अग्रणी था। इटली के लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रसार करने में मैजिनी की महत्वपूर्ण भूमिका थी।

23. यंग इटली (युवा इटली) की स्थापना -
मैजिनी ने सन् 1831 में यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की जिसने शीघ्र ही कार्बोनरी का स्थान ले लिया। मैजिनी का मानना था कि यदि इटली का एकीकरण करना है तो सम्पूर्ण शक्ति नवयुवकों के हाथों में देनी होगी। वह नवयुवकों पर सर्वाधिक विश्वास करता था। उसने तीन नारे दिए - ईश्वर पर विश्वास रखो, मनुष्य बनने की भावना अपनाओ और इटली को स्वतंत्र कराओ।

24. राष्ट्रवादी भावना जागृत करने में मैजिनी का योगदान -
मैजिनी ने यंग इटली संगठन के माध्यम से लोगों को इटली के एकीकरण के लिए प्रेरित किया तथा राष्ट्रवादी भावना जागृत की। गैरीबाल्डी के साथ मिलकर उसने नेपल्स व सिसली के इटली में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
इस प्रकार इटली के एकीकरण में मैजिनी का योगदान उल्लेखनीय रहा।

25. सामाजिक लोकतंत्र -
समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र कहलाता है। सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना का उद्देश्य है - सामाजिक समता की स्थापना। समाजिक लोकतंत्र में नागरिकता के अधिकार का प्रचलन होता है।
सामाजिक लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो अथवा समानता के अधिकार की प्रबलता हो।
— हर्षवर्धन

वास्तव में, सामाजिक लोकतंत्र से तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, जाति, भाषा, धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में समान समझा जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के सुख का कारण मात्र नहीं समझा जाना चाहिए।

* राजनीतिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक कारक -

(i) सभी व्यक्तियों को समान मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

(ii) जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर समाज में प्रचलित विशेषाधिकारों की व्यवस्था का अंत होना चाहिए।

(iii) समाज में सभी व्यक्तियों को प्रगति के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

(iv) भेदभाव व जाति प्रथा का अंत होना चाहिए।

Q. भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। इस कथन के पक्ष में चार तर्क लिखें।

(i) बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय व राष्ट्रीय आय -

भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशील स्थिति को दर्शाने वाले कारकों में प्रति व्यक्ति आय व राष्ट्रीय आय महत्वपूर्ण कारक है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की प्रति व्यक्ति आय अति निम्न थी। यह मात्र 3.29 थी। जो राष्ट्रवादियों ने इसे हिन्दू विकास दर कहा। परन्तु धीरे-धीरे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती गयी जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशील को प्रदर्शित करती है।

इसी प्रकार बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय भी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकासशील स्वरूप को दर्शाती है।

(ii) कृषि पर निर्भरता में कमी–
जैसे जैसे किसी देश की कृषि पर निर्भरता में कमी आती है वैसे-वैसे द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र पर निर्भरता बढ़ती जाती जाती है। भारत ने स्वतंत्रता के समय 3/4 जनसंख्या रोजगार व जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर थी परन्तु धीरे-धीरे कृषि पर निर्भरता में कमी आयी है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकासशील स्वरूप को दर्शाती है।

(iii) तृतीयक क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद के योगदान में वृद्धि–
भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तृतीयक क्षेत्र का GDP में योगदान अति न्यून था परन्तु वर्तमान में द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र का GDP में योगदान 85% से अधिक है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशीलता को दर्शाता है।

(iv) सामाजिक ढाँचे में सुधार–
भारत की सामाजिक आधार संरचना (बैंकिंग, संचार प्रणाली, शिक्षा, परिवहन आदि) में निरन्तर सुधार होता जा रहा है। यह सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था के विकासशील स्वरूप को दर्शाता है।
इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है।

25. मुद्रा –
मुद्रा वह मौद्रिक माप वाली वस्तु है जिसे अन्य वस्तुओं व सेवाओं के क्रय के बदले सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। जाकर व टारोली विल्सन के शब्दों में – "मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे।"

क्र.पृ.उ.

मुद्रा के तीन प्रमुख कार्य –

(i) मूल्य का मापक –

मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मूल्य का मापदण्ड है। मुद्रा मूल्य के मापदण्ड के रूप में कार्य करती है। प्रत्येक मुद्रा का मूल्य अलग-अलग निश्चित होता है। जितने मूल्य की वस्तु बेची जाती है उतने ही मूल्य वाली मुद्रा विक्रेता को अदा की जाती है। इस प्रकार मुद्रा मूल्य के मापदण्ड का कार्य करती है।

(ii) मूल्य का भण्डार –

अर्थव्यवस्था में मुद्रा का अन्य महत्वपूर्ण कार्य मूल्य का संचय करना है। मुद्रा मूल्य के भण्डार के तौर पर कार्य करती है। मुद्रा विनिमय में आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है क्योंकि मुद्रा मूल्य के भण्डार के रूप में कार्य करती है।

(iii) विलम्बित भुगतानों का मान –

मुद्रा विलम्बित या स्थगित भुगतानों की माप के रूप में भी कार्य करती है। इसके द्वारा स्थगित भुगतानों का मूल्य तय किया जा सकता है। इसी से विलम्बित भुगतानों की कीमत भी अदा की जाती है। इस प्रकार मुद्रा जिन विलम्बित या किये स्थगित भुगतानों की माप होती है।

निष्कर्षतः मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं- मूल्य का भण्डारण, मूल्य का मापन व विलम्बित भुगतानों की माप।

26. उपभोक्ता द्वारा क्रय की गयी वस्तु का जब उपभोक्ता को पूर्ण लाभ नहीं मिलता है या किसी प्रकार की हानि हो जाती है तो वह स्थिति उपभोक्ता का शोषण कहलाती है। उपभोक्ता शोषण के चार प्रमुख कारण निम्न हैं–

(i) उपभोक्ता द्वारा क्रय की गयी वस्तु के बारे में सम्पूर्ण जानकारी (उत्पादन की तिथि, समाप्ति की तिथि) प्राप्त नहीं करने पर उसे मिलावटी या कम गुणवत्ता वाली वस्तु प्राप्त होती है, जिससे उपभोक्ता का शोषण होता है।

(ii) उपभोक्ता के पर्याप्त जागरूक नहीं होने के कारण भी उपभोक्ता का शोषण होता है। यदि उपभोक्ता को विक्रेता द्वारा कम गुणवत्ता वाली या मिलावटी वस्तु दी जाती है तो उपभोक्ता को उपभोक्ता मंच में शिकायत करनी चाहिए अन्यथा वह शोषण का शिकार हो जाता है।

(iii) उपभोक्ता द्वारा वस्तु की आयु, तौल, मात्रा, गुणवत्ता, शुद्धता आदि की जाँच न करना उपभोक्ता शोषण का कारण है।

(iv) समाज के व्यक्तियों का उपभोक्ता शोषण के विरुद्ध संगठित होकर प्रयास न करना भी उपभोक्ता शोषण का कारण बन जाता है।

इस प्रकार उपभोक्ता का शोषण होता है।

27. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के योगदान का मूल्यांकन–

(i) श्यामजी कौन थे?–

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में श्यामजी कृष्ण वर्मा एक क्रान्तिकारी थे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लन्दन से शिक्षा प्राप्त की। जब वे भारत लौटकर आये तो उन्होंने भारत में अंग्रेजों की दमनकारी व अत्याचारी नीतियों देखी,

वे कुछ लन्दन चले गये तथा वहाँ से उन्होंने क्रान्तिकारी गतिविधियाँ जारी रखीं। उन्होंने लन्दन में इण्डिया हाउस की स्थापना की। इस प्रकार के संगठन की स्थापना करने वाले वे पहले भारतीय थे। उन्होंने इस संगठन के माध्यम से भारतीय क्रान्तिकारियों को संरक्षण प्रदान किया। मदनलाल धींगरा, हरदयाल जैसे क्रान्तिकारी भी इससे सम्बन्ध थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने होमरूल माध्यम से विदेश में भारतीयों को प्रतिवर्ष एक-एक हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की। उन्होंने 'इण्डियन सोशलिस्ट' नामक पुस्तक भी लिखी तथा लन्दन में रहकर यहाँ के भारतीयों को स्वतंत्रता संघर्ष के लिए प्रेरित करते रहे। श्यामजी कृष्ण वर्मा कुछ समय भारत के पश्चिमी भाग में गुजरात में काठियावाड़ के रहने वाले थे। जब वे कुछ भारत लौटे तो सरकार को उनकी इन गतिविधियों के बारे में पता चल गया तथा अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करने की योजना बनायी परन्तु श्यामजी कृष्ण वर्मा को इस बात का पता चल गया और वे भारत छोड़कर चले गये। इस प्रकार श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इण्डिया हाउस की स्थापना कर राष्ट्रवादी गतिविधियों को जारी रखा।

(ii) विनायक दामोदर सावरकर –

विनायक दामोदर सावरकर का जन्म भागुर नामक स्थान पर महाराष्ट्र में हुआ। उनके राष्ट्रवादी कार्यों के कारण भारतीय जनता ने उन्हें वीर की उपाधि प्रदान की। उन्होंने फर्ग्युसन कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की जहाँ वे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सम्पर्क में आये।

उनसे प्रेरणा लेकर सावरकर ने मित्र मेला नामक एक गोपनीय संस्था और विदेशी वस्त्रों को जलाकर उनका बहिष्कार किया। उन्होंने अभिनव भारत अभियान की शुरुआत की। वे पहले ऐसे क्रान्तिकारी थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने दो आजीवन कारावास की सजा दी थी। उन्होंने "हिस्ट्री ऑफ इण्डियन रेबेलियन" पुस्तक लिखी परन्तु देश भक्ति से ओत-प्रोत होने के कारण अंग्रेजी सरकार ने इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया। फिर भी यह पुस्तक अन्य नाम से एकत्रित होकर भारत तक पहुँचा दी गयी। उन्होंने 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम को मदद न करके हाथ का मुहँ तोड़ जवाब करारा कहा। 1905 में हुये बंग-भंग का उन्होंने अत्यधिक विरोध किया। उन्हें अण्डमान की सेलुलर जेल में डाल दिया गया। 1920 में उन्हें रत्नागिरी में नजरबन्द रखा गया। इस प्रकार वीर विनायक दामोदर सावरकर ने अंग्रेजी सरकार का प्रतिकार कर राष्ट्रीय आन्दोलन में अपना अमूल्य योगदान दिया।

प्र8. संसद के कार्य व शक्तियाँ -

भारतीय संसद भारत की व्यवस्थापिका का अंग है जो कानून निर्माण करने का कार्य करती है। संसद का निर्माण राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर होता है। लोकसभा संसद का प्रथम व निम्न सदन है। राज्यसभा संसद का द्वितीय व उच्च सदन है। भारतीय संसद को अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है जिनमें विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, संविधान में संशोधन की शक्ति, निर्वाचन सम्बन्धी शक्ति व अन्य शक्तियाँ प्रमुख है।

संसद की प्रमुख शक्तियों का विवरण निम्न है-

(1) विधायी शक्ति -

विधायी शक्ति से अभिप्राय संसद की कानून निर्माण सम्बन्धी शक्ति से है। कानून निर्माण के सम्बन्ध में संसद को अत्यन्त महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। संसद को संघ सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। यद्यपि समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य भी कानून निर्माण करने का अधिकार प्राप्त है परन्तु राज्य व केन्द्र में विवाद की स्थिति होने पर संसद द्वारा निर्मित कानून को मान्यता होगा। कानून पारित करने के लिए दोनों सदनों का सामान्य बहुमत आवश्यक होता है।

(2) संविधान संशोधन की शक्ति -

संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन की शक्ति विशेष रूप से संसद को ही प्राप्त है। संसद के सदन निरपेक्ष सामान्य बहुमत या दोनों सदनों के पृथक पृथक 2/3 बहुमत से इस संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन का कार्य करते हैं। केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में भारतीय संघ के अन्य राज्यों की भी स्वीकृति आवश्यक होती है।

(3) वित्तीय शक्ति -

जनता की प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है। संसद में वित्त मन्त्री द्वारा वार्षिक बजट पेश किए जाने के बाद ही राष्ट्रीय आय-व्यय से सम्बन्धित कोई भी

कार्य किया जा सकता है। वित्तीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्ति लोकसभा को ही प्राप्त है, राज्यसभा को नहीं।

(iv) प्रशासनिक शक्तियाँ (मंत्रिपरिषद की शक्ति)–
प्रशासनिक क्षेत्र में भी संसद मंत्रीमण्डल पर नियंत्रण रखने की शक्ति रखती है। मंत्रीमण्डल अपने पद पर केवल तब तक आसीन रहता है जब तक उसे संसद (लोकसभा) का विश्वास प्राप्त होता है। मंत्रीमण्डल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है।

(v) निर्वाचक मण्डल के रूप में शक्ति–
संसद के दोनों सदन मिलकर राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मण्डल का गठन करते हैं। इसी प्रकार संसद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी निर्णायक की शक्ति रखती है।

(vi) विविध शक्तियाँ –
(i) संसद के दोनों सदनों के सदस्य आगामी छः माह में राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की शक्ति रखते हैं। इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग चलाने की शक्ति संसद के पास है।
(ii) देश में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा करने के 1 माह के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है।

+ क.ध–
चूंकि संसद संघीय व्यवस्थापिका का अंग है अतः नागरिकों एवम् का सर्वप्रमुख कार्य कानून का निर्माण कर उसे पारित करना है। संसद व राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है।

ई-पृ०

23 उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र एवं शक्तियां -
उच्च न्यायालय भारतीय संघ के प्रत्येक राज्य में पाया जाता है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार व शक्तियाँ निम्न हैं-

(1) प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार -
भारतीय संघ के प्रत्येक राज्य को उच्चतम क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इस क्षेत्राधिकार के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा से सम्बन्धित किसी भी विवाद को अपने अधीन लेकर उस पर सुनवाई करने का अधिकार रखता है। इस प्रकार के मामले की अपील उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय दोनों में से किसी भी न्यायालय में की जा सकती है।

(2) पर्यवेक्षणिक क्षेत्राधिकार -
उच्च न्यायालय में किसी भी अधीनस्थ न्यायालय की याचिका पर की जा सकती है। उच्च न्यायालय उस मामले पर बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेक्षा आदि अनेक विधियों से जाँच व सुनवाई करने का अधिकार रखता है।

(3) अपीलीय क्षेत्राधिकार -
इस क्षेत्राधिकार के तहत उच्च न्यायालय को दीवानी, फौजदारी, संवैधानिक व विशिष्ट मामलों की जाँच व सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। दीवानी मामलों में चोरी, डाके, लूट, फौजदारी मामलों में गबन, हत्या, विवाह, तलाक, संवैधानिक

मामलों में संविधान की व्याख्या से सम्बन्धित मामले आते हैं। कुछ न्यायालय इन मामलों पर सुनवाई करने का अधिकार रखता है।

(18) अभिलेख - न्यायालय -
उच्च न्यायालय में दिए गए निर्णय इससे नीचे के स्तर के न्यायालयों में मामलों के रूप में प्रयुक्त होते। यह उच्च न्यायालय को विशेष अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी कहलाता है।

(19) परामर्श सम्बन्धी अधिकार -
भारतीय संघ के प्रत्येक राज्य को कोई भी निर्णय देने से पूर्व उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेने का अधिकार प्राप्त है।
इस प्रकार उच्च न्यायालय को प्रारम्भिक, रिट, अभिलेख, व परामर्श सम्बन्धी क्षेत्राधिकार व शक्तियाँ प्राप्त हैं।

20 यदि मैं हम्मीर देव चौहान के स्थान पर होती तो मैं अलाउद्दीन खिलजी के बागियों के प्रति वही नीति अपनाती जो हम्मीर देव चौहान ने अपनायी। मैं अलाउद्दीन खिलजी के बागियों को शरण प्रदान कर उनकी अलाउद्दीन खिलजी से रक्षा करती।
इसका कारण यह है कि भारतीय संस्कृति में शरणागत की रक्षा करना एक राजा का प्रमुख कर्तव्य माना गया है। इसी कर्तव्य का पालन करते हुए अलाउद्दीन को बगावत

करने वाले सूक्ष्मदर्शी यंत्रों में आपका प्रकाश एवं उनकी व्याख्या करेंगे।

1. एक नागरिक नागरिकों का में उच्च न्यायालय के लिये निम्न कठिनाइयों की अपेक्षा करती है-
(i) उच्च न्यायालय को अपने अधिकार के आधार पर निर्णय देने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए।
(ii) उच्च न्यायालय को आदेशों के रूप में निर्णय देने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए।

समाप्त